न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–478/2019

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

अज्ञात

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
26/3/21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 3373/हि0शा0, दिनांक 08.12.2019) के आलोक में थानाध्यक्ष, फुलकाहा थाना काण्ड संख्या–192/18, दिनांक 25.11.2018 धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त ग्लैमर मोटर साईकिल पंजीयन सं0–BR50C-3267, ईजन संख्या–JA06ELD GJ02072, चेसीस संख्या–MBLJA06AFDGJ02151 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को वाहन मालिक का नाम व पता उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया द्वारा वाहन मालिक का नाम एवं पता उपलब्ध कराने पर वाहन मालिक श्री संदीप कुमार, पिता–सोती मंडल, सा0–रामविसनपुर, थाना–राधोपुर, जिला–सुपौल को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0 143/उ0, दिनांक 10.02.2020), एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। श्री संदीप कुमार, पिता–सोती मंडल, सा0–रामविसनपुर, थाना–राधोपुर, जिला–सुपौल (वाहन मालिक) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी फुलकाहा थाना काण्ड सं0 192/18 में जब्त मोटर साईकिल ग्लैमर एफ0आई0 के वैद्य मालिक है। आवेदक के अतिरिक्त उक्त जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। यह कि दिनांक 14.10.2018 को दुर्गापूजा मेला देखने ग्राम तीनटोलिया गया था और वहीं मोटर साईकिल चोरी हो गया। तब वाहन मालिक ने इसकी सूचना ग्रामवासी एवं मेला कमिटी को दिया है। तत्पश्चात् बहुत खोज तलाश के बाद भी जब बाईक नहीं मिला तब इसकी सूचना निकटवर्त्ती थाना प्रतापगंज को लिखित रूप से दिया था, परन्तु आवेदक को प्रतापगंज थाना द्वारा केश के संदर्भ में कोई रिसिविंग नहीं दिया गया और लिखित केश के संदर्भ में पुलिस द्वारा कोई गंभीरता नहीं देखी गई। परेशान हो कर वाहन मालिक ने चोरी की सूचना दिनांक 16.10.2018 को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। यह कि फुलकाहा थाना के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वाहन मालिक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी चोरी हुआ मोटर साईकिल से नेपाली शराब एवं अन्य वस्तुएँ बरामद हुई है और अब वह मोटर साईकिल फुलकाहा थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। यह कि जब्त मोटर साईकिल का वैद्य मालिक है। मोटर साईकिल थाना में खुले आसमान में पड़ा हुआ है और जर्जर स्थिति में है, उसे काफी क्षति हो रही है। यह कि वाहन मालिक मोटर साईकिल मुक्त करने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार बंध पत्र देने के लिए तैयार है। यह कि वाहन मालिक न तो संबंधित फुलकाहा थाना कांड सं0–192/18 के अभियुक्त है और ना ही उन्हें उपरोक्त कांड से कोई सरोकार है। वाहन मालिक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जब्त मोटर साईकिल को मुक्त करने का अनुरोध करते हैं। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षक/सामान्य,	

सुभाष चन्द्र, 'ए' समवाय, फुलकाहा अन्य जवान के साथ दिनांक 24.11.2018 को कोशिकापुर सीमा स्तम्भ सं0-188/1 से लगभग 200 मीटर पहले समय लगभग 18:05 बजे देखा कि एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर नेपाल की तरफ से भारत आ रहा है। गश्ती पार्टी को देख कर वह व्यक्ति मोटर साईकिल को छोड़कर भागने लगा तथा अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष मोटर साईकिल की तलाशी लेने पर मोटर साईकिल में बंधी बोड़े से नेपाल निर्मित दिलवाले शराब की 300 मि0ली0 की कुल 250 बोतल कुल 75 लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत जब्त किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है।

पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त ग्लैमर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR50C-3267, ईंजन संख्या-JA06ELDGJ02072, चेसीस संख्या-MBLJ A06AFDGJ02151 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार थानाध्यक्ष, फुलकाहा थाना काण्ड संख्या-192/18, दिनांक 25.11.2018 में जब्त **ग्लैमर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR50C-3267, ईंजन संख्या-JA06ELDGJ02072, चेसीस संख्या-MB LJA06AFDGJ02151 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 291 (...) अररिया, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया